




## कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर।

### वाहन किराए पर प्राप्त करने हेतु सूचना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाइट), खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर में भाड़े पर एक स्कॉरपियो वाहन की आवश्यकता है। उक्त गाड़ी से माह अधिकतम 30 दिनों तक कार्य लिया जायेगा। वाहन Quotation की राशि गाड़ी चालक सहित एवं ईंधन रहित के लिए अंकित की जाएगी। वाहन उपलब्ध कराने वाले एजेंसी/वाहन मालिक को निम्नांकित शर्तों को पूरी करनी होगी-

1. वाहन का प्रकार स्कॉरपियो।
2. वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
3. वाहन का टैक्स अद्यतन होना चाहिए।
4. वाहन का इन्स्योरेंस अद्यतन होना चाहिए।
5. वाहन का प्रदूषण कागजात अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास Driving licence होना चाहिए।
7. वाहन भाड़ा का भुगतान वाहन मालिक के नाम से किया जायेगा।
8. वाहन की मरम्मत की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
9. वाहन भाड़ा का भुगतान सीधे एजेंसी/वाहन मालिक के खाते में किया जाएगा।
10. अनुबंधित वाहन जिला के अंदर उपयोग में रहेंगे। राज्यस्तरी बैठक एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिए जिला से बाहर यथा पटना जाने हेतु अनुबंधित रहेंगे।
11. सेवा संतोषजनक नहीं रहने तथा परिचालन में असुविधा होने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

उक्त शर्तों को पूरा करने वाले एजेंसी/वाहन मालिक विज्ञापन प्रकाशन के 24 घंटे के अन्दर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर कार्यालय में कार्यावधि में हाथो-हाथ बंद लिफाफे में संपूर्ण कागजात के साथ आवेदन जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए श्री अनिरुद्ध मंडल, लिपिक, संपर्क नं0 9931823591 बेबसाईट [www.dietbpg.in](http://www.dietbpg.in) एवं संस्थान के सूचना-पट पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। दिनांक 28.09.2023 को संध्या 03:00 बजे प्राचार्य वेश्म में एजेंसी/वाहन मालिक स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कोटेशन खोला जाएगा। 29.09.2023 को चयनित एजेंसी/वाहन मालिक को इस आशय का एकरारनामा का शपथ-पत्र कार्यालय को समर्पित करने के साथ ही वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

  
प्रभारी प्राचार्य,  
27.09.23

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
भागलपुर